भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1682

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों की स्थिति और प्रभावकारिता

1682. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना के प्रारंभ होने के बाद से खोले गए जन धन खातों की कुल संख्या और वर्तमान में निष्क्रिय के तौर पर वर्गीकृत किए गए खातों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन निष्क्रिय खातों में राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निष्क्रिय के तौर पर जमा है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के तहत निष्क्रिय खातों की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 20.11.2024 तक, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत कुल 54.03 करोड़ खाते खोले गए हैं। इनमें से 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय खाते हैं। निष्क्रिय खातों सहित खातों की राज्य-वार संख्या और निष्क्रिय खातों में पड़ी हुई निधियों की कुल राशि **अनुबंध** में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बचत और चालू खाते को निष्क्रिय/डॉर्मेंट माना जाना चाहिए, यदि खाते में दो साल से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया जाता है। बैंक लगातार सक्रिय खातों के प्रतिशत की निगरानी करने के लिए ठोस प्रयास करते हैं और सरकार द्वारा उक्त प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने *अन्य बातों के साथ-साथ,* बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी है:-

- उन खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करना जहां एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा लेनदेन नहीं किया गया है; और
- इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाना।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने तथा ऐसे खातों को चालू और निर्बाध बनाने की प्रक्रिया को सरल और बाधामुक्त बनाएं, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, नॉन-होम शाखाओं, वीडियो के माध्यम से ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी को निर्बाध अद्यतन करना शामिल है।

इसके परिणामस्वरूप, पीएसबी के लिए निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की संख्या का प्रतिशत मार्च'17 में 39.62% से घटकर नवंबर'24 में 20.91% हो गया है।

दिनांक 10.12.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1682 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 20.11.2024 तक पीएमजेडीवाई खातों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या (लाख में)	निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाख में)	निष्क्रिय खातों में शेष राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.60	0.12	2.08
2	आंध्र प्रदेश	151.98	35.96	369.97
3	अरुणाचल प्रदेश	4.59	0.88	12.10
4	असम	244.98	45.57	448.03
5	बिहार	614.61	119.98	2,007.66
6	चंडीगढ़	3.33	0.98	14.37
7	छत्तीसगढ़	180.22	31.08	477.06
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	2.37	0.86	10.38
9	दिल्ली	65.32	17.96	278.62
10	गोवा	2.11	0.85	14.96
11	गुजरात	189.86	46.98	643.16
12	हरियाणा	102.83	26.79	482.71
13	हिमाचल प्रदेश	19.54	2.68	47.19
14	जम्मू और कश्मीर	24.46	7.26	96.95
15	झारखंड	192.07	44.03	813.86
16	कर्नाटक	197.77	47.14	578.53
17	केरल	65.32	17.83	221.04
18	लद्दाख	0.20	0.07	1.07
19	लक्षद्वीप	0.10	0.01	0.46
20	मध्य प्रदेश	443.75	92.15	1,079.75
21	महाराष्ट्र	360.75	70.76	883.02
22	मणिपुर	11.12	3.68	34.09
23	मेघालय	8.18	1.73	39.58
24	मिजोरम	4.03	0.54	6.90
25	नागालैंड	4.04	0.77	10.22
26	ओडिशा	224.88	35.92	442.49
27	पुडुचेरी	2.33	0.35	5.22
28	पंजाब	93.39	23.42	275.22
29	राजस्थान	362.68	67.89	993.25
30	सिक्किम	0.93	0.30	4.32
31	तमिलनाडु	164.60	35.61	412.81
32	तेलंगाना	121.81	26.75	312.94
33	त्रिपुरा	10.92	1.55	21.77
34	उत्तर प्रदेश	963.95	234.72	2,763.69
35	उत्तराखंड	37.51	9.08	117.05
36	पश्चिम बंगाल	525.98	78.50	827.73
कुल		**5,403.12**	**1,130.73**	**14,750.27**

स्रोत: बैंक